-

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा **दिनाँक 13.09.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/2026 धारा 3(5)/74/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2026 को थाना स्योहारा पर वादी मौ0 सलमान पुत्र बब्बन निवासी मौ0 अफगानान, सहसपुर, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र यामीन द्वारा वादी की माता नसरीन की कोली भर ली तथा अभियुक्त 2. गुल्लू उर्फ अरवाज निवासीगण मौ0 अफगानान, सहसपुर, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं तथा अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 315/2026 धारा 3(5)/74/109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 13.09.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त सलीम पुत्र यामीन निवासी मौ0 अफगानान सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सलीम पुत्र यामीन निवासी मौ0 अफगानान सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.का0 2821 अभिषेक कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर **दिनांक 13.09.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 729/2026 धारा 305(ए)/61(2)/95/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्ता को पीली व सफेद धातु के आभूषण सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.09.2026 को वादिया कुसुम पत्नी स्व0 राकेश निवासी गोविन्दपुरम, आवास विकास कॉलोनी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तागण 1. अफसाना पत्नी स्व0 निसार एवं 2. नाजिया पुत्री स्व0 निसार निवासीगण मौ0 मिर्दगान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के नाबालिग पुत्र को बहला-फुसलाकर षड्यंत्र रचते हुए एप्पल मोबाइल फोन, रुपये एवं जरूरत का सामान देने का लालच देकर वादिया के घर से सोने-चांदी के जेवरात ले लिए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 729/2026 धारा 303(2)/61(2)/95 बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यवाही-

आज दिनांक 13.09.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तागण 1. अफसाना पत्नी स्व0 निसार अहमद निवासी मौ0 चाहशीरी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर, हाल निवासी मौ0 मिर्दगान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर तथा 2. नाजिया पुत्री स्व0 निसार अहमद पत्नी अजमल निवासी मौ0 चाहशीरी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर, हाल निवासी मौ0 मिर्दगान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर को लिये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 303(2) बीएनएस का विलोप कर धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्ता नाजिया उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरा बेटा आवास विकास में रहने वाली कुसुम के बेटे का दोस्त है तथा वह हमारे घर आता-जाता रहता था। करीब डेढ़ माह पूर्व मेरे तथा मेरी मां अफसाना के कहने पर वादिया के बेटे ने अपने घर में रखे सोने एवं चांदी के जेवर लाकर हमें दे दिए थे। पुलिस द्वारा हमसे जो जेवर बरामद किए गए हैं, ये वही जेवर हैं, जो वादिया के बेटे द्वारा लाकर हमें दिए गए थे। आज हम दोनों उक्त जेवरों को बेचने के लिए मुरादाबाद जा रहे थे। मैंने तथा मेरी मां अफसाना ने वादिया के बेटे को लालच दिया था कि हम उसे एप्पल कम्पनी का मोबाइल फोन तथा रुपये देंगे। हमने वादीया के बेटे को कुछ रुपये भी दिए थे। बरामद मोबाइल फोन हमने वादिया के बेटे को देने के लिए ही खरीदा था।

अन्य सामान के संबंध में पूछने पर अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया कि उक्त जेवरों में से कुछ जेवर हमने चलते-फिरते किसी अंजान व्यक्ति को बेच दिए हैं, जिसका नाम-पता हमें मालूम नहीं है। जेवर बेचने से प्राप्त रुपयों में से करीब 15 दिन पूर्व हमने एक स्पेलण्डर मोटरसाइकिल खरीदी थी, जो हमारे घर के बाहर खड़ी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. **अफसाना पत्नी स्व0 निसार अहमद**, निवासी मौ0 चाहशीरी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर, हाल निवासी मौ0 मिर्दगान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।
2. **नाजिया पुत्री स्व0 निसार अहमद पत्नी अजमल**, निवासी मौ0 चाहशीरी, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर, हाल निवासी मौ0 मिर्दगान, थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1.दो चूडी डिजाइनदार पीली धातु
2.एक चूडी डिजाइनदार पीली धातु,
3.एक लेडिज अंगुठी पीली धातु,
4.दो नोजपिन गोलाकार पीली धातु,
5.एक कान की बाली पीली धातु,
6.एक गले का नेकलेस पीली धातु,
7.एक मंगलसुत्र पीली धातु जिसमें काली मोतियों की माला जुडी हैं,
8.एक जोडी गोभी पाजेब घुंघरुदार,
9.एक कमरबंद (चाबी का गुच्छा),
10.एक जोडी सफेद धातु पायल ,
11.चार टुकडे लटकन सफेद धातु
12.एक तीन लटकन वाला सफेद धातु का टीका,
13.एक मोबाइल फोन एप्पल कम्पनी
14. एक मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 20 DB 6785

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.म0उ0नि0 ममता थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 420 राजीव थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 1036 सुमित कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. रि0का0 2949 सचिन थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
5. म0का0 1357 चंचल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
6. रि0म0का0 610 भारती थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
7. म0का0 581 काजल थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
8. चालक का0 1577 सौरभ खारी थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 13.09.2026**

नगरीय क्षेत्रों को जाम मुक्त कराये जाने हेतु चलाये गये अभियान के दौरान यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

माननीय मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय क्षेत्रों को जाम मुक्त कराये जाने हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में आदरणीय जिलाधिकारी एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2026 को जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस एवं नगर पालिका प्रशासन तथा यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा शहर बिजनौर में संयुक्त रुप से अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें **बुखारा चुंगी से जानी चौराहे के मध्य सड़क के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण** को हटाया गया।

आम नागरिकों एवं व्यापारियों / दुकानदारों से अपील है कि वह सड़कों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें व प्रतिदिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा, जिससे आम नागरिकों को सुगम व सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था प्रदान की जा सके।

JCB

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड **दिनांक 13.09.2026**

थाना रेहड पुलिस द्वारा मु0अ0स0 55/2026 धारा 74/137(2)/351(2)/115(2) B.N.S व 7/8/16/17 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 23.08.26 को थाना रेहड़ पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. सानिव पुत्र मुस्तकीम, 2. जरीफन पत्नी मुस्तकीम एवं 3. फहीम पुत्र यामीन निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर खास उर्फ भगतावाला, थाना रेहड़, जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 74/137(2)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम सानिव आदि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2) बीएनएस व 17/18 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 13.09.2026 को थाना रेहड पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सानिव पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सुल्तानपुर खास उर्फ भगतावाला, थाना रेहड़, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सानिव पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सुल्तानपुर खास उर्फ भगतावाला, थाना रेहड़, जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री रहीशपाल सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर
2. का0 19 केशव कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।